

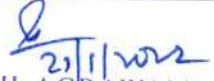
भाग- IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में खण्डवा-अमलाखुर्द मीटर गेज को ब्राडगेज लाईन में परिवर्तन हेतु खण्डवा वन मण्डल की 6.18 हेक्टेयर वनभूमि एवं बुरहानपुर वनमण्डल की 15.31 हेक्टेयर वनभूमि कुल 21.49 हेक्टेयर वनभूमि उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला महाराष्ट्र को उपयोग पर देने की अनुशंसा जाती है।
----	--	--

तिथि:- 21/01/2022

स्थान:- भोपाल।


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal